न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प उज्जैन

R-3874-I/13 रिवीजन प्र0क्र0 /2013

विकृतचित्त हयातखां पिता शादुल्लाखां पठान,
आयु 50 वर्ष, धंधा पागल होने से कुछ नहीं,
निवासी ग्राम जमालपुरा द्वारा संरक्षक {पत्नि}
श्रीमति शमीमबी पति हयातखां निवासी जमालपुरा
तहसील एवं जिला मन्दसौर ---------- प्रार्थी

विरूद्ध

01- असलम पिता सादुल्लाखां, आयु 58 वर्ष,
02- बब्बरखां पिता सादुल्लाखां, आयु 45 वर्ष,
03- अकमलखां पिता शरीफखां, आयु 75 वर्ष,
04- एहमदखां पिता शरीफखां, आयु 70 वर्ष,
05- हमीदखां पिता मुकरमखां , आयु 35 वर्ष,
06- हनीफखां पिता मुकरमखां ,आयु 30 वर्ष,
07- सलीमखां पिता मुकरमखां, आयु 22 वर्ष,
08- छोटीबाई पत्नि स्व0 मुकरमखां,आयु 70 वर्ष,
सभी जाति पठान, सभी निवासी ग्राम जमालपुरा
तहसील एवं जिला मन्दसौर {म0प्र0} ------- विपक्षी

363
13/9/2013

निगरानी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता
विरूद्ध आदेश दिनांक 03-08-13 प्र0क्र0 15-ए-27/2010-11
{असलम विरूद्ध हयातखां आदि} आदेश द्वारा न्यायालय
श्रीमान तहसीलदार महोदय, मन्दसौर {म0प्र0}

माननीय महोदय,

प्रार्थी हयातखां {विकृत चित्त} की ओर से उसकी संरक्षक पत्नि शमीमबी की ओर से यह रिवीजन निम्नवत प्रस्तुत है:-

{1} यहकि प्रार्थी तथा सह-खातेदारों के नाम से ग्राम जमालपुरा तहसील मन्दसौर में कृषि भूमि सर्वे नं0 86 रकबा 1.180 हे0, सर्वे नं0 190 रकबा 0.350 हे0 स्थित है । इन भूमियों पर प्रार्थी सहित विपक्षीगण का नाम

2

पिछातेचन्न / इन्द्राज़ / असलम

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 3874/I/13 जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.1.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार महिदपुर के प्रकरण क्रमांक 15/A-27/10-11 में पारित आदेश दिनांक 3.8.13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	